

दक्षिण रेलवे /SOUTHERN RAILWAY

मंडल कार्यालय/Divisional Office,
कार्मिक शाखा/Personnel Branch,
पालक्काड/Palghat,
दि./Date. 15-01-2020

सं./No. J/P 509/PCF/TC/PR

ज्ञापन/ MEMORANDUM

विषय : सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति हेतु अनुरोध -
Sub: Request for Voluntary retirement from service- Reg
संदर्भ : कर्मचारी का आवेदन दि. 01-08-2019.
Ref: Employee's application dtd. 01-08-2019.

निम्नलिखित कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति हेतु प्रस्तुत अनुरोध को, 3 महीने की सूचना अवधि की समाप्ति पर/ सूचना अवधि को विधिवत छूट देते हुए, वमंविप्र./पघट के दि. 06-09-2019 के पत्र सं. पी. P.500/PGT/P/VR Concurrence द्वारा प्राप्त सहमति के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता है। तदनुसार उनकी सेवाएं ऐसी स्वैच्छिक सेवा-निवृत्तियों के लिए शासित सामान्य शर्तों व निबंधनों के अधीन दि. 31-01-2020; के पूर्वाह्न से समाप्त की जाती है।

The voluntary retirement tendered by the following employee has been accepted by the competent authority on completion of the 3 months notice period with effect from 01-02-2020 with the concurrence of Sr.DFM/PGT vide letter No.P.500/PGT/P/VR Concurrence dated 06-09-19. Accordingly his services will stand terminated on the AN of 01-02-2020 subject to usual terms and conditions governing such voluntary retirements.

कर्मचारी का नाम/भ.नि.सं./ Name of the employee /PF.No.	वर्तमान पदनाम/ स्टेशन Present Designation/ Station	कार्यरत कार्यालय Working in the office of	वर्तमान वेतन बैंड व ग्रेड वेतन Pay Matrix Level	जन्म तिथि Date of birth	नियुक्ति की तारीख Date of appointment
RAJAGOPALAN.P 15504206666	TTI/SL/SRR	CTI/O/SRR	6	20-03-1961	06-06-1981

उन्हें अपने प्रभार में सौंपी गई सभी रेलवे सामग्रियों को वापस करना होगा। उन्हें सूचित किया जाता है कि यदि अनुमत अवधि के बाद रेलवे आवास का प्रतिधारण हो तो, रेलवे बोर्ड के पत्र सं.ई(जी)1/4-82 दि.4.6.1983 के अनुसार रेलवे आवास के हर एक महीने के अप्राधिकृत प्रतिधारण के लिए उनका एक सेट सेवा निवृत्तियोत्तर पास जकत किया जाएगा और रेलवे आवास को खाली करने तक सेवा-निवृत्ति उपदान की पूरी रकम रोक रखी जाएगी।

He/She has to hand over the Railway materials entrusted to his/her charge. He/She is informed that retention of Railway quarters, if any, beyond the period for which permission has granted will result in forfeiture of one set of post retirement pass for every month of unauthorized retention of Railway quarters in terms of Railway Board's letter No.E(G)1/4-82 of 04/6/1983 and the whole amount of Retirement gratuity will be withheld till the vacation of the Railway accommodation.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has the approval of competent authority.

(एस.के.इंदुशेखर/S.K.INDUSEKAR)

सकाधि /APO/T

कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी/पघट

/Sr.Divisional Personnel Officer/PGT

प्रति/Copy to Sr.DFM, Sr.DCM/PGT,ACM-I/PGT, CTI/HQ/PGT

CTI/SL/SRR, Ch.OS/Commercial, Commercial Controller,

Ch.OS/Settlement, OS/Bills, DAR, P4, Pass, Employee through CTI/SL/CAN

DS/SRES, SRMU, AFSC/ST REA, O/O file, PCF.

Chief Executive, SRECCS/TPJ & CBE